राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर

(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग,जयपुर)

कमांकः– F1(79)DME/Raj-MES/2017 / 31 दिनांक 21/12/2017

आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिकूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 के नियम 20(3) के तहत तैयार की गई आरक्षित सूची में से निम्न लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद पर, महाविद्यालय में, संमेकित वेतन पर नीचे अंकित शर्तो पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

कम संख्या	विशिष्ठता	पद	फॉर्म नं.	अभ्यार्थी का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	महाविद्यालय का नाम	संमेकित वेतन
1.	बायोकैमिस्ट्री	सहायक आचार्य	2725	DR. JAMIL MOHAMMAD	19-Feb-1979	ओबीसी पुरूष	चूरू	70,000/-
2.	वक्ष एवं क्षय	सहायक आचार्य	3392	DR. MANOJ VASUDEO JANI	26-Mar-1983	सामान्य पुरूष	चूरू	70,000/-
3.	चर्म एवं रति	सहायक आचार्य	3515	DR. ANUKRITI SRIVASTAVA	06-Nov-1988	सामान्य महिला	भीलवाड़ा	70,000/-
4.	ओब्स एण्ड गायनी	सहायक आचार्य	2435	MRS. DR PRAGATI MEENA	23-Jan-1984	एसटी महिला	भरतपुर	70,000/-
5.	एनेस्थेसिया	सहायक आचार्य	3196	DR. MANGILAL DEGANWA	06-Jun-1984	एससी पुरूष	डूंगरपुर	70,000/-

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. उपरोक्त चयनित अभ्यार्थीयों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिकूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 लागू होंगे।
2. उपरोक्त नियुक्ति आचार्य, सह आचार्य एवं एमबीबीएस डिग्रीधारी सहायक आचार्य व एमबीबीएस डिग्रीधारी वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर होगी एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।
3. परिवीक्षा काल में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
4. परिवीक्षा काल के दौरान अभ्यर्थी की सेवाऐं असंतोषजनक पाए जाने पर बिना कोई नोटिस दिए सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी ।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस में अपनी उपस्थिति संबंधित प्राचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी ।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शेक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण संबंधित मेडिकल कॉलेज जहां कि उसका पदस्थापन किया गया है, के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा ।
7. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किए जाने के योग्य होंगी।
8. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
9. अवकाश, सामान्य बीमा, पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवा शर्तो के सम्बन्ध में सोसायटी के नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथी/आरक्षण जाति आदि के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्रों से संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा ।
11. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

12. सीनियर रेजीडेंट एवं जूनियर रेजीडेंट का पद आवधिक (टेन्योर) पद होने के कारण उपरोक्त सीनियर रेजीडेंट एवं जूनियर रेजीडेंट की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए जो कि तीन वर्ष तक बढाये जाने योग्य होगी, के लिए है।

13. जिन चिकित्सक शिक्षकों ने 31.07.2017 के बाद यदि किसी मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. द्वारा निरीक्षण में उपस्थित हुए है उनकी नियुक्ति योग्य नही मानी जायेगी

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमैस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमैस, जयपुर ।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाडा ।
4. सदस्य .... राजमैस, जयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. सम्बन्धित अभ्यार्थी ....
7. रक्षित पत्रावली ।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

Scanned by CamScanner